[2018] 12 एस. सी. आर. 204

तहसीन पूनावाला

बनाम

भारत संघ और अन्य

(रिट याचिका (सी) संख्या 19/2018)

में

(आई. ए. संख्या 14870–14871/2018)

में

(एम.ए संख्या 1607/2018)

26 सितंबर, 2018

एडमिरल श्री लक्ष्मीनारायण रामदास (सेवानिवृत) के मामले में:

और श्रीमती इंदिरा जयसिंग के मामले में:

[मुख्य न्यायाधीश, दीपक मिश्रा, ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगण]

अभ्यास और प्रक्रिया –तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ और अन्य में घोषित निर्णय। [डब्ल्यू. पी. (ग) 2018 का सं. 19] 19 अप्रैल 2018 को जैसा कि [2018] 9 एस. सी. आर. 1 में बताया गया है–उच्चतम न्यायालय द्वारा कथित रूप से की गई टिप्पणी कि याचिकाकर्ताओं और आपत्तिकर्ताओं के अधिवक्ताओं का आचरण प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना का गठन करता है–वर्तमान आवेदक/वकील के विरुद्ध उक्त टिप्पणियों को हटाने/हटाने के लिए दायर विविध आवेदन, जो उसमें आपत्तिकर्ताओं में से एक की ओर से प्रस्तुत हुए –तहसीन पूनावाला मामले में निर्णय के अनुच्छेद 75 में प्रस्तुतिकरण दर्ज किया गया है। जिसे आवेदक द्वारा निवेदन किया गया कि उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति को अवमानना नोटिस जारी किए जाने चाहिए–यह तथ्य कि ऐसा प्रस्तुत किया गया था, विवाद में नहीं है–वास्तव में, उक्त प्रस्तुतिकरण को वर्तमान आवेदन में भी दोहराया गया है, जैसा कि मूल रूप से दायर किया गया था–इसके अलावा, वर्तमान आवेदन इस आधार पर अग्रसारित होता है कि जो टिप्पणियाँ याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं के आचरण के संबंध में उच्च न्यायालय में की गई थीं।आवेदक व्यक्तिगत रूप से–यदि आवेदक आपत्तिकर्ता के साथ अपनी पहचान बनाता है, तो यह आवेदक/अधिवक्ता के लिए धारणा का विषय है–उच्चतम न्यायालय के निष्कर्ष सुनवाई के दौरान जो तर्क दिए गए थे, उस पर आधारित थे–विविध आवेदन का तदनुसार निपटारा किया गया।

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2018 की रिट याचिका (सिविल) No.19 में 2018 की आई. ए. संख्या 14870–14871 में 2018 की एम. ए. संख्या 1607।भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुनील फर्नांडिस, सुश्री आस्था शर्मा, अमित भंडारी, सुश्री नूपुर कुमार, सुश्री अंजू थॉमस, सुश्री प्रियांशा शर्मा, पारस नाथ सिंह, निशांत आर. कटनेश्वरकर, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे. 1.सुश्री इंदिरा जयसिंह ने निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए एक विविध आवेदन दायर किया हैः

''क) वर्तमान हस्तक्षेपकर्ता/आवेदक के अधिवक्ता के विरुद्ध की गई टिप्पणियों को हटाने/हटाने के लिए उचित आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें कहा गया है कि अधिवक्ता/आवेदक का आचरण अदालत की अवमानना या प्रथम दृष्टया अवमानना के समान है, अर्थात् निम्नलिखितः

"74. वर्तमान मामला वास्तव में एक उदाहरण है। बार–बार, याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों के अधिवक्ताओं ने अदालत को सूचित करने का प्रयास किया है कि उनका कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है और उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इन कार्यवाही की शुरुआत की है। न्यायाधीश श्री लोया की मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों की जांच की मांग करने का वास्तविक उद्देश्य जिला न्यायपालिका की रक्षा करना है " सुश्री जयसिंह इस अदालत से बॉम्बे उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति को अवमानना नोटिस जारी करने का अनुरोध करके मैदान में शामिल हो गई हैं... ''

76. [....] याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं का आचरण अदालत की प्रक्रिया की निंदा करता है और प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना का गठन करता है... ''

"78. [... .] याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों का आचरण, जैसा कि हमने संकेत दिया है, ईमानदारी की आभाव है और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को दर्शाता है।"

ख) एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए उचित आदेश या निर्देश जारी करें कि इसमें वर्तमान हस्तक्षेपकर्ता/आवेदक के अधिवक्ता ने किसी भी प्रस्तुति को अग्रसर नहीं किया है या ऐसे आचरण में शामिल नहीं हैं जो अदालत की अवमानना के समान हो सकता है यदि वह उचित समझता है;

ग) न्यायाधीश उत्पत को स्थानांतरण के कारणों का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए कि क्या इस माननीय न्यायालय की सहमति प्राप्त की गई थी या क्या इस माननीय न्यायालय को सूचित किया गया था कि न्यायाधीश उत्पत का स्थानांतरण किया जा रहा

था, उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति की दिनांक 25.06.2014 की बैठक के रिकॉर्ड के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय से संपर्क करें,''

19 अप्रैल 2018 के इस न्यायालय के निर्णय में जिन मामलों पर निर्णय सुनाया गया था, उनमें सुश्री जयसिंह ने एक हस्तक्षेपकर्ता (एडमिरल रामदास) का प्रतिनिधित्व किया।

2. आवेदक की ओर से पेश हुए डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं और इस अदालत के समक्ष हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश हुए अन्य विद्वान अधिवक्ताओं का आचरण जो भी हो, सुश्री जयसिंह का ऐसा कोई भी निवेदन करने का कोई आशय नहीं था जिससे न्यायपालिका की निंदा की जा सके। यह निवेदन किया गया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति के बारे में प्रस्तुत करने में उन्होंने न्यायपालिका को बदनाम नहीं किया है और न तो लिखित प्रस्तुतियाँ और न ही मौखिक प्रस्तुतियाँ न्यायालय की प्रक्रिया को बदनाम करने के समान होंगी। डॉ. सिंघवी ने आग्रह किया कि फैसले के पैराग्राफ 74, 75, 76 और 78 (उपरोक्त प्रार्थना खंड (ए) में निकाली गई) में निहित टिप्पणियों से यह धारणा निर्मित होती है कि न्यायालय के समक्ष सभी अधिवक्ताओं ने एक ही प्रस्तुति दी थी, हालांकि प्रत्येक बहस करने वाले वकील ने अलग–अलग प्रस्तुतियों का आग्रह किया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि सुश्री जयसिंह की बार में पांच दशकों से अधिक की स्थिति है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड न्यायपालिका को बदनाम करने की इच्छा के अतिरिक्त कुछ भी संकेत देगा।

3. महाराष्ट्र राज्य की ओर से प्रस्तुत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने आवेदन का विरोध किया। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सुश्री जयसिंह से संबंधित प्रत्येक प्रस्तुतिकरण वास्तव में कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा आग्रह किया गया था। श्री रोहतगी ने न्यायालय का ध्यान विविध ए के प्रार्थना खंड (सी) की ओर आकर्षित किया न्यायाधीश उत्पत के स्थानांतरण के कारणों का पता लगाने के लिए और यह पता लगाने के लिए कि क्या इस न्यायालय की सहमति प्राप्त की गई थी (और क्या यह उनके प्रस्तावित स्थानांतरण के बारे में सूचित किया गया था) आवेदन जिसके द्वारा 25 जून 2014 की उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति की बैठक के रिकॉर्ड तलब किए जाने की मांग की गई है। श्री रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि प्रार्थना (ग) इस तथ्य का संकेत है कि विविध आवेदन इस न्यायालय के समक्ष वकालत करने वाले वकील के रूप में उनके अपने हित को अग्रसर करने के लिए दायर नहीं किया गया है, बल्कि उस विवाद को पुनर्जीवित करने के लिए दायर किया गया है जिसे इस न्यायालय के निर्णय से सुलझा लिया गया है।

4. आवेदन के प्रार्थना खंड (सी) के संबंध में श्री रोहतगी द्वारा उठाई गई आपत्ति का सामना करते हुए, डॉ. सिंघवी ने अपने प्रत्युत्तर के दौरान कहा कि प्रार्थना को छोड़ दिया जा रहा है। श्री रोहतगी का निवेदन दर्ज करना आवश्यक होगा कि यदि डॉ. सिंघवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना खंड (सी) को शामिल करना अनजाने में था, तो यह बयान कि प्रार्थना को छोड़ दिया जा रहा है, उनकी ओर से आपत्ति उठाए जाने से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

5. इस मामले का पहला पहलू जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि निर्णय के पैराग्राफ 75 में उस निवेदन को दर्ज किया गया है, जिसमें आवेदक द्वारा आग्रह किया गया था

कि उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति को अवमानना नोटिस जारी किए जाने चाहिए। यह विवाद में नहीं है कि इस तरह का निवेदन किया गया था। वास्तव में विविध आवेदन के पैराग्राफ 9.3 में, आवेदक ने यह दोहराते हुए प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय के समक्ष इसका आग्रह किया गया था। आवेदन का प्रार्थना खंड (सी) जैसा कि मूल रूप से दायर किया गया था, उस प्रस्तुति पर आधारित था।

6. आवेदन इस आधार पर अग्रसर होता है कि याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप कर्ताओं के आचरण के संबंध में की गई टिप्पणियां आवेदक से व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित होती हैं। पैराग्राफ 76 और 78 में, इस न्यायालय ने उपेक्षित किया "याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ता के आचरण "(जोर दिया गया)। यदि आवेदक हस्तक्षेपकर्ता के साथ अपनी पहचान बनाता है, तो यह वकील के लिए धारणा का विषय है। न्यायालय की टिप्पणियाँ याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं के आचरण का विज्ञापन करती हैं। इस न्यायालय के निष्कर्ष, सुनवाई के दौरान जो तर्क दिए गए थे, उन पर आधारित हैं।

7. विविध अनुप्रयोग का तदनुसार निराकृत किया जाता है।

एम. ए. को हटा दिया गया।